

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) ^A सं. 20/11/15
 लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश ⁷⁰³ सं. 20/11/15

98, महात्मा गाँधी मार्ग,
लखनऊ।

पत्रांक 470 कैम्प-प्र-प्र-विकास/07 (प्र-प्र)/15

दिनांक 10/11/15

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
लोक निर्माण अनुभाग-7,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ

महोदय,

कृपया अपने पत्रांक 2096/23-7-15-176सा0/06टी0सी0 दिनांक 06.11.15 का सन्दर्भ लेने कष्ट करें, जिसमें ठेकेदारों के चरित्र प्रमाण पत्र की वैधता अवधि को तीन वर्ष किये जाने सम्बन्धित गृह विभाग के शासनादेश का उल्लेख है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि चरित्र प्रमाण पत्र में जिलाधिकारियों द्वारा वैधता अविध अंकित की जाती है, यदि यह अवधि उनके द्वारा एक वर्ष या दो वर्ष अंकित की जाती है, तो उसकी वैधता तदानुसार ही माना जाना बाध्यता होगी।

कृपया अपने स्तर से सभी जिलाधिकारियों को पत्र निर्गत कराने का कष्ट करें कि गृह विभाग के शासनादेश के अनुसार उनके द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र में वैधता तीन वर्ष अंकित की जाये, फिर भी जिन प्रमाण पत्रों में किसी भी वैधता का उल्लेख न हो, उनमें उस वैधता को तीन वर्ष माने जाने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को एतद्वारा निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(ए0 के0 गुप्ता)
प्रमुख अभियन्ता (विकास)
विभागाध्यक्ष

449
205208
18/11/2015

श्री शोभा (PE)
संस्त 708
20/11/2015

EE
Camp Div/RAV
Div/
Road Safety Div
11/8

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क)/ (परि0/नियो0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
 2. मुख्य अभियन्ता (मु0-1)/ (मु0-2), लो0नि0वि0, लखनऊ।
 3. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्तानुसार गृह विभाग के शासनादेश सं0- 1624/छ:-पु-14-2013-50(7)/ 2006 दिनांक 20.05.2013 का अनुपालन सुनिश्चित करें।

S.E (IDS)
18/11/2015

दृश्य - म० अवि० (म०-1) लो०नि०वि०

दृश्य नं० 9686 दि० 18/11/15

- ① DSE (PJ/P/Sangra/PFAD/IDS)
- ② P.A.

10/11/15
प्रमुख अभियन्ता (विकास)
विभागाध्यक्ष

18/11/2015
श्री सुनील/श्री कानी
राजेश

(ए0 के0 सिंह)
मुख्य अभियन्ता (मु0-1)
लो0नि0वि0, लखनऊ

अभिज्ञ कृष्णासिंह से सुनय/शुभेरा
में अपलोड कर 20/11/15

Super (web officer)
to be upload
10/11/15